भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

सं. 590//यूनिफॉर्म/2013/प्रशिक्षण-।।(खण्ड-।।) दिनांकः 25 नवम्बर, 2016

<u>निविदा</u>

सिलाई सहित सर्दी के 24 (चौबीस) सूटों और शर्टों के सेटों की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इसके साथ संलग्न निर्धारित फार्मेट में दरें उद्धत की जाएं।

इच्छुक विक्रेता निविदा सूचना में यथा उल्लिखित अन्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित सभी प्रकार से पूर्ण निविदा दस्तावेज एक मुहरबंद लिफाफे, जिसके उपर "सर्दी के सूट की खरीद के ले निविदा" लिखा गया हो, जमा कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी को **<u>02.12.2016 को अपराह्न 3.00</u>** बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। निविदा उसी दिन अर्थात् अपराह्न 4.30 बजे 7वें तल पर संविधान हॉल, निर्वाचन सदन, अशोक रोज, नई दिल्ली में खोली जाएगी। विक्रेता या उनके प्रतिनिधि भी, यदि उनकी इच्छा हो तो, उपस्थित हो सकते हैं। मुहरबंद निविदा निर्वाचन सदन भवन के भू तल पर स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में भी जमा कर सकते हैं।

नियत तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग डाक द्वारा खो जाने / विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(बिनोद कुमार)
अवर सचिव (प्रशिक्षण)
दूरभाषः 011-23052151

नियम एवं शर्तें

1. फर्म के पास पैन नंबर तथा टिन नंबर होना चाहिए।
2. फर्म का दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय निर्वाचन सदन से 5 (पांच) किमी. के भीतर होना चाहिए।
3. फर्म के पास घर पर सिलाई की सुविधा होनी चाहिए। फर्म कार्य को उप किराए पर नहीं देगी।
4. फर्म का भुगतान सूटों की संतोषजनक डिलीवरी के बाद ही किया जाएगा।
5. सूटों की डिलीवरी कार्य आदेश जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।
6. आयोग के पास किसी या सभी निविदाओं को इसका कोई कारण बताए बिना स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा फर्म निविदा के निरस्त होने पर किसी हानि / नुकसान का दावा नहीं करेगी। आयोग कार्य आदेश देने से पहले नियम एवं शर्तों में संशोधन भी कर सकता है।
7. टीडीएस कटौती के बाद ही चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
8. वस्त्र युक्तिसंगत रूप से रेमण्ड या रीड एण्ड टेलर के अच्छी किस्म के होने चाहिए। (पॉलीवूल 50:50 प्रतिशत अनुपात में)
9. वस्त्र के नमूने संलग्न फार्मेट में लगाए जाने चाहिएं तथा ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
10. सर्दी के सूटों की संख्या, अर्थात् 24 केवल अनंतिम है तथा यह संख्या फर्म को आदेश देने के समय बढ़ / घट सकती है। ऐसे मामले में, शुल्क प्रति सूट एवं शर्ट की दर से आनुपातिक आधार पर लागू होगा।
11. फर्म द्वारा उद्धृत दरें सभी करों, यदि कोई हो, सहित होनी चाहिएं। कार्य फर्म के कुल उद्धृत दर के आधार पर दिया जाएगा।

फार्मेट

विनिर्देशन का नाम (पॉलीवूल 50:50 प्रतिशत अनुपात में)

प्रकार	नमूना (संलग्न)	प्रतिमीटर दर (रु. में)	सिलाई शुल्क (रु. में)	कुल (एक सेट के लिए) (रु. में)	कुल (24 सेटों के लिए) (रु. में)
सूट (कोट तथा पैन्ट) **रंग –नीला/काला**					
शर्ट **रंग –नीला/सफेद**					
कुल (शब्दों में)					

टिप्पणीः- दरें केवल उपर्युक्त विशिष्ट वस्त्र के लिए उदधृत की जानी चाहिएं।